न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0 न0:– 71 /2024 तारीखरजू:– 7/11/24 2024/255

उनवान:– शंकरलाल बनाम पुष्पेन्द्र वगै0
प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
7/11/24	प्रार्थी की ओर से श्री विजय भारती एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायलान को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही है। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के नोटिस जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. से तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.11.2024 को पेश हो। (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी	71/73-76 7/11/24
27-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित अप्रार्थी नं0 1 लगायत 4 की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली रहे Presiding अवकाश पर चल रहे हैं। वास्ते आइन्दा आदेश दिनांक 3.1.25 को पेश हो।	
3/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थी नं0 1 लगायत 4 की ओर से बाद पेशी पर श्री सुरेशचन्द शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया वास्ते जवाब दिनांक 31.1.25 को पेश हो।	
31.1.25	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ... नाकोर्ट चल रहा है। पत्रावली तदनुसार दिनांक 10-3-25 को पेश हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-

दिनांक	फर्द अहकाम
24/2/26	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप.। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद मनन व अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सहखातेदार है। अतः एकपक्ष को दूसरे पक्ष के विरुद्ध पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम, जिला-करौली